संख्या : 3035/जी0एस0(शिक्षा) / A3-8(3) / 2024

प्रेषक,

स्वाति0 एस0 भदौरिया,
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

- 6 MAR 2025

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड **देहरादून, दिनांक मार्च, 2025**

महोदय,

कृपया कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव, पंजीकरण क्रमांक–230926103552 दिनांक 28.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा द्रोण कॉलेज ऑफ एजुकेशन एण्ड टैक्नोलॉजी, दिनेशपुर रोड़, रुद्रपुर (उधमसिंह नगर) को बी0एससी0–एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2024–25 की नवीन अस्थायी सम्बद्धता का प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37(2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की नवीन अस्थाई सम्बद्धता सम्बन्धी प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	सम्बद्धता सत्र
1	2	3	4	5
01	द्रोण कॉलेज ऑफ एजुकेशन एण्ड टैक्नोलॉजी, दिनेशपुर रोड़, रुद्रपुर (उधमसिंह नगर)।	बी0एससी0–एग्रीकल्चर	60 सीट	2024–25

(1) निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह के अवधि के भीतर उपलब्ध करायें।

(2) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव यू0जी0सी0 विनियम/नियामक संस्थान एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

भवदीया,

Signed by
Swati Srivastava Bhadauria
Date: 06-03-2025 11:41:24

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या : 3035 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A3-8(3)/2024 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च् शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य–सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

Signed by
Shri Laxman Ram Arya
Date: 06-03-2025 12:12:55

(लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के अनुसचिव।